न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः—17/18 निर्णय दिनांकः—20.08.2019

1. सिलाब कंवर बेवाह फतेह सिंह आयु 64, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सहनुसर, तहसील रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर, राज.।

.....प्रार्थिया

बनाम

1. जोधसिंह पुत्र स्व. जीवण सिंह जाति राजपूत, उम्र 75 वर्ष, निवासी ग्राम सहनुसर, तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर, राज.।
2. तहसीलदार, तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।
3. उप पंजीयक, रामगढ शेखावाटी , जिला सीकर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 212 राज. काश्तकारी अनिधनियम एवं सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा (प्रार्थिया की ओर से)
अधिवक्ता श्री भींमसिंह (अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से)

—:निर्णयः—

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम सहनुसर, पटवार हल्का सहनुसर, तहसील रामगढ शेखावाटी की रोही में खसरा नं. 50(नया) जिसका पुराना खसरा नं. 15/5 रकबा 0.14 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

वादग्रस्त कृषि भूमि को प्रार्थिया के पति स्व. फतेह सिंह व अप्रार्थी संख्या 01 जोधसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उदयसिंह पुत्र मल सिंह, निवासी ग्राम सहनुसर से दिनांक 17.01.1996 को क्रय क्रर क्रेतागण ने उदय सिंह को अपने—अपने 1/2 हिस्से की प्रतिफल राशि अदा कर उपपंजीयक कार्यालय रामगढ शेखावाटी में एक ही लेख्य पत्र के जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बना लिया। फतेह सिंह ने अपने इंतकाल से पूर्व वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थिया के नाम किये जाने की घोषणा का समर्थन प्रार्थिया के पुत्र सुरेन्द्रपाल सिंह व गोविन्द सिंह व पुत्रियां रतन कंवर व कविता कंवर ने अपनी मौखिक सहमति से किया था। फतेह सिंह के जीवनकाल से ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थिया का एकांति कब्जा हर आम व खास की जानकारी में चला आ रहा है। उक्त आधार पर प्रार्थिया वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा रकबा 0.07 हैक्टेयर को अपने नाम से उद्घोषित करवाने की विधिवत रूप से अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर सादर निवेदन हैं कि अप्रार्थी जोधसिंह को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो प्रार्थिया को उक्त वादग्रस्त कृषि

Scanned by CamScanner

में आने–जाने में बाधा उत्पन्न करने से अप्रार्थी व उसके परिजन, नौकर–चाकर, जैट, प्रतिनिधि आदि प्रार्थिया को रोकने से बाज आवे, अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने व प्रार्थिया को वादग्रस्त कृषि भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे, कब्जा नही करें, खुर्द–बुर्द नहीं करे, किसी प्रकार की कच्ची–पक्की लिखावट के जरिये हस्तांतरण नही करें, प्रार्थिया के उपयोग–उपभोग में कोई दखलंदाजी नही करने से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नही आने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 01 ने जबाब पेश कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 15 में से रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि भाग अप्रार्थी संख्या 01 जोधसिंह की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.01.1996 अकेले की उदयसिंह से वाद देने बदल का मूल्य व प्राप्त करने भौतिक कब्जा क्रय की हुई है। उक्त क्रय की गई भूमि पर कभी भी प्रार्थीया व उसके पति फतेहसिंह का कोई कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नही रहा और ना ही अब है। यदपि उक्त विक्रय पत्र में प्रार्थीया के पति फतेहसिंह का नाम आवश्यक दर्ज है किन्तु फतेहसिंह का उक्त अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा की गई भूमि पर कोई कब्जा काश्त उपयोग उपभोग कभी नही रहा है विशेषतः तब जबकि उक्त विक्रय पत्र के दिन फतेहसिंह मजदूरी हेतु विदेश गया हुआ था। स्व. फतेहसिंह ने उक्त भूमि ने अपना कोई हक हिस्सा नही होने व उक्त विक्रय पत्र में कोई भी राशि फतेहसिंह की नही लगने बाबत व उक्त भूमि का एकान्तिक काबिज काश्तकार हकदार अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में लिखावट हस्ताक्षरित कर दें दी थी जो अप्रार्थी संख्या 01 के पास है। उक्त विवादित आराजी को क्रय करने के समय से ही आवासीय परियोजनार्थ काम में साधिकार लिया जा रहा अप्रार्थी संख्या 01 ने कोई विधि विरूद्ध निर्माण नही किया है बल्कि साधिकार निर्माण किया है। प्रार्थीया व फतेहसिंह का व उसके अन्य किसी परिजन का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है कब्जे के के अभाव में यह विभाजन अस्थायी निषेधाज्ञा व उद्घोषणा का प्रार्थना पत्र सन्धार्य नही है और खारिज किये जाने योग्य है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी के पति स्व. फतेह सिंह जमाबंदी में खातेदार दर्ज है व प्रार्थी भूमि पर कब्जे काश्त है। अप्रार्थी प्रार्थी को विवादित आराजी में आने–जाने से बाधा उत्पन्न करते है तथा अप्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 01 ने बहस में कथन किया है कि प्रार्थी का भूमि पर न तो कब्जा काश्त हैं और न ही उसके पति ने विक्रय पत्र से खरीदी हुई विवादित आराजी में कोई राशि विक्रय पत्र में लगाई। प्रार्थी ने क्लेम से अधिक उद्घोषणा का दावा लगाया है व स्व. फतेह सिंह के विधिक वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया है। तथा प्रार्थना पत्र अविधिक रूप से संस्थित है व खारिज किये जाने योग्य है।

Scanned by CamScanner

बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र का आद्योपांत अवलोकन किया गया व तर्कों पर न किया गया। प्रार्थिया के पति का नाम जमाबंदी में दर्ज है। जिससे प्रार्थिया सिलाब कंवर सह खातेदार स्व. फतेह सिंह की विधिक उत्तराधिकारी है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता हैं कि प्रार्थिया सिलाब कंवर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार रखती है। विवादित आराजी खसरा नं. 50 रकबा 0.14 के बेचान पर प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

चूंकि प्रार्थीया विवादित आराजी ख.नं. 50 में सहखातेदार होने का हक रखती है, इसलिए भूमि के प्रत्येक इन्च पर प्रार्थीया का हक है व प्रार्थीया अपने हिस्से की सीमा तक कब्जे काश्त करने की अधिकारी है, इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में है। पूर्व में भी न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2018 को अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया है कि वे प्रार्थिया के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करें।

—:आदेशः—

उपरोक्त विवेचन अनुसार पक्षकारान विवादित आराजी के सह खातेदार प्रतीत होते है, फलस्वरूप न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.09.18 को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 50 रकबा 0.14 हैक्टेयर ग्राम सहनुसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी में प्रार्थिया को अपने हिस्से की सीमा तक आराजी के उपयोग व उपभोग से वंचित न किया जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

Scanned by CamScanner